these are not subject to similar IAEA Safeguards.

(e) The security of the county is in so way connected witn application of tuch safeguards as these are carried out by IAEA and restricted to the nuclear power plants built with foreign assistance.

**परमाणु ऊर्जा उत्पादन**

310. **श्री राम जेठमलानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में परमाणु ऊर्जा की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है और 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के वर्षों के दौरान इसका वास्तविक उत्पादन कितना रहा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए गत वर्षों में नयी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता और निर्माण लागत क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :** (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों के पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली के उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन नीचे दिए गए हैं :

| वर्ष | लक्ष्य | वास्तविक मिलियन यूनिट |
|---|---|---|
| 1991–92 | 6010 | 5500@ |
| 1992–93 | 6844 | 6606@ |
| 1993–94 | 8100(6500*) | 5299@ |

@ इसमें वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन करने से पहले 1991–92 में नरोरा–2 और 1993–94 में ककरापार–1 प्रत्येक के द्वारा 35 मिलियन यूनिट तथा 1992–93 में नरोरा 2 के द्वारा 89 मिलियन यूनिट पैदा की गई बिजली शामिल है।

*नरोरा में आग लगने की घटना के घटने के बाद संशोधित लक्ष्य।

(ग) और (घ) नरोरा–2 (220 मेगावाट) और ककरापार–1 (220 मेगावाट), जो निर्माणाधीन थे, में क्रमशः जुलाई, 1992 और मई, 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर बिजली का उत्पादन करना शुरू किया था। निर्माणाधीन ककरापार–2 (220 मेगावाट) का निर्माण कार्य भी, सन् 1994 के दौरान परिचालन शुरू कर देने के लिए, प्रगति पर है। अन्य यूनिटों, नामतः कैगा। और 2 (2×220 मेगावाट) और राजस्थान 3 और 4 (2×220 मेगावाट) को सन् 1996-97 में चालू करने का कार्यक्रम है। इन निर्माणाधीन परियोजनाओं के इस समय प्रत्याशित लागत अनुमान

नीचे दिए अनुसार हैं (लागत करोड़ रूपयों में :

ककरापार 1 और 2 : 1335 (1025 मूल लागत + 310 निर्माण के दौरान ब्याज)

कैगा 1 और 2 : 2275 (1590 मूल लागत + 685 निर्माण के दौरान ब्याज)

राजस्थान 3 और 4 : 2107 (1450 मूल लागत + 657 निर्माण के दौरान ब्याज)

हालांकि इन रिएक्टरों के स्वदेशी डिजाइन के आधार पर 6 × 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिट (तारापुर में 2 और राजस्थान में 4) और 4 × 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिट (कैगा 3-6) स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति से अग्रिम कार्रवाई की गई थी, तथापि वित्तीय बाधाओं के कारण इन यूनिटों का निर्माण-कार्य शुरू करना संभव नहीं हो पाया। तारापुर में 2 × 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले यूनिटों के संबंध में, निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है।

**कैगा में परमाणु दुर्घटना**

311. डा. नौनिहाल सिंह :
श्री सोमपाल :
श्री कुंवर दानिश अलि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मई, 1994 को कैगा स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र में संरचनात्मक अभिकल्प की खामी के कारण कोई दुर्घटना घटी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड; (ए. ई. आर. बी.) की स्वीकृति के बिना उसके संरचनात्मक ढांचे में कुछ अभिकल्पीय परिवर्तन किए गए जिसके कारण यह दुर्घटना घटी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी विस्तृत जांच करायी है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(च) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी)** : (क) से (ङ) 13 मई, 1994 को लगभग 11.45 बजे कैगा के पहले यूनिट के रिएक्टर भवन के आंतरिक संरोधक गुम्बद की अन्दरूनी सतह से कंक्रीट का एक भाग पूर्वप्रतिबलन कार्यों के दौरान अलग हो गया। न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गुम्बद के क्षय होने के कारणों का पता लगाने और उपचारी उपायों और आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने भी इस घटना के बाद में जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए दो विशेषज्ञों ने स्थल का दौरा करने के दौरान निर्माण संबंधी जोड़ों की किस्म और अवस्थिति तथा पूर्व प्रतिबलन, क्रम ब्यौरों के बारे में कुछ परिवर्तन पाए। तथापि, इस घटना के घटित होने के कारणों के बारे में तो समितियों द्वारा अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के बाद ही बताया जा सकता है।

(च) कैगा के पहले यूनिट के आंतरिक संरोधक गुम्बद का पुनः निर्माण करते समय समितियों द्वारा की गई